न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 102/2020 दिनांक–16.07.2020

श्री सतीश कुमार पुत्र स्व. श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

1. उमेश कुमार पुत्र स्व. मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगढ।
2. ललिता पुत्री स्व. श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगढ।
4. राजस्थान–सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ।
3. इन्द्रमणी पत्नी श्री मोहनलाल जाति ब्राहमण निवासी तोगडा कलां –प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया
वकील प्रति. :– श्री किशोर कुमार जागिड़
राज. पैरोकार

<u>दावा घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकार्ड</u>

:: निर्णय ::

दिनांक 06.08.2020

वादी ने एक वाद–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 306 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 307 रकबा 1.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 315 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.71 हैक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 हैक्टर स्थित है। उक्त आराजी मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का बराबर–बराबर 1/4–1/4 हिस्सा है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य हक हिस्से व कब्जे काश्त बाबत किसी भी प्रकार का कोई विवाद नही है। वादी का सही व वास्तविक नाम सतीश कुमार पुत्र मोहनलाल है। जो वादी के शिक्षा के सम्बन्धी दस्तावेज राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिवार कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेन्स आदि में दर्ज है। वादी के पिता के फौत होने पर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों ने वादी के नाम का सही सत्यापन किये बिना ही उपरोक्त वर्णित आराजी के राजस्व अभिलेख ने वादी का नाम सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल गलत दर्ज कर दिया। स्व. मोहनलाल के 2 पुत्र वादी व प्रतिवादी संख्या 1 उमेश कुमार है। स्व. मोहनलाल के सत्यनारायण नाम का कोई पुत्र पैदा नही हुआ है। सत्यनारायण व सतीश कुमार दोनो नामों का एक ही व्यक्ति वादी ही है।

गलत राजस्व राजस्व अभिलेख में वादी का नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही के कारण वादी के नाम का सही सत्यापन नही करने के कारण हुआ है। राजस्व अभिलेख में वादी का नाम सत्यनारायण दर्ज होने से वादी को अनेक परिशानियों का सामना करना पडता है तथा वादी राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा जारी

Scanned by CamScanner

योजना का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाता है। इसलिए सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल के स्थान पर वादी सतीश कुमार पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जाना आवश्यक है जिसकें लिए उक्त वाद श्रीमान के न्यायालय में पेश किया गया है। वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी पूर्व में नही थी। वादी ने गत मास दिनांक 12.06.2020 को हल्का पटवारी से राजस्व अभिलेख की नकल प्राप्त की तो वादी को उक्त गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी हुई जिसके तुरन्त पश्चात् वदी की ओर से उक्त वाद पेश किया गया है। उक्त वाद के लिए वाद कारण दिनांक 12.06.2020 को वादी को गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी होने के रोज अदालत हाजा का क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ है। वाद की विषय वस्तु अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिए अदालत हाजा को उक्त वाद सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा है कि राजस्व ग्राम तोगडाकलां तहसील नवलगढ की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 306, 307, 315, 420 रकबा क्रमशः 0.03, 1.46, 0.05, 0.71 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल के स्थान पर वादी सतीश कुमार पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किया जावे। अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई है और वादी के पक्ष में पडती है वह भी दिवालयी जावे।

वादी द्वारा वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर वाद अवलोकन दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर वकील श्री किशोर कुमार जागिड उपस्थित आये। वादी एंव प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 3 की ओर से दिनांक 24.07.2020 को राजीनामा पेश किया, जिसमें वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद डिक्री करने की सहमति दी।

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन पश्चात् वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम तोगडाकलां स्थित नये खसरा नम्बर 306, 307, 315, 420 रकबा क्रमशः 0.03, 1.46, 0.05, 0.71 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल के स्थान पर वादी सतीश कुमार पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/8/20

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
इन्द्राज सिंह (आर०ए०एस०) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं०:– 102/2020 (सतीश कुमार बनाम उमेश कुमार वगैरह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू इन्द्राज सिंह (आर.ए.एस.),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 06–08–2020 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम तोगडाकलां स्थित नये खसरा नम्बर 306, 307, 315, 420 रकबा क्रमशः 0.03, 1.46, 0.05, 0.71 हेक्टर कुल किता 4 कुल रकबा 2.25 हैक्टर में सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल के स्थान पर वादी सतीश कुमार पुत्र मोहनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जिन..........–........... मुबलिग..........–...........बाबत.....–..........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह. ....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06 माह 08 सन 2020 को जारी की गई।

(इन्द्राज सिंह)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प अर्जी दावा	2.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	4.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	08.00		2.00

Scanned by CamScanner